

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सेडूराम बनाम बिरदया वगैराह प्रकरण संख्या - 68/2017 प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

21.12.2018

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई श्री चिम्मनलाल मीना का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई श्री चिम्मनलाल मीना का स्थानान्तरण हो जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किये जाने में आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन दावा उद्घोषणा इशतकरार इन्द्राज दुरुस्ती तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रकरण सेडूराम बनाम बिरदया वगैराह व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सेडूराम बनाम बिरदया वगैराह को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अंधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।-



*[Signature]*  
जिला कलक्टर  
दौसा

*Decentralized copy  
Send  
11537  
31-12-18*

